भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2047

11 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भूमि पूलिंग नीति का कार्यान्वयन

+2047. श्री अनूप प्रधान वाल्मीकिः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः
श्री मनोज तिवारीः
श्री महेंद्र सिंह सोलंकीः
श्रीमती कृति देवी देबबर्मनः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्री बिभु प्रसाद तराईः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार मध्य प्रदेश, विशेषकर देवास-शाहपुर सहित देश भर में समय पर भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए भूमि पूलिंग नीति के कार्यान्वयन और कानूनी चुनौतियों का किस प्रकार समाधान कर रही है;

(ख) शहर के समीपस्थ क्षेत्रों में वृद्धि और अनियोजित विकास को प्रबंधित करने और विशेषकर देवास-शाहपुर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए मूलभूत नागरिक अवसंरचना का समय पर प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु कार्यान्वित किए जा रहे नीतिगत उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानगर नियोजन समितियों द्वारा पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) और हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) मानदंडों को अनिवार्य रूप से अपनाने के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके प्रवर्तन के लिए प्रस्तावित तंत्र क्या हैं;

(घ) दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए एकीकृत जीआईएस-आधारित डिजिटल मास्टर प्लान विकसित करने हेतु राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) अवसंरचना का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है और साथ ही सार्वजनिक पहुँच सुविधा का कार्य पूरा होने के लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है;

(ङ) विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रमाणित शहरी योजनाकारों और डिजाइनरों की संख्या राज्य-वार और संस्थान-वार कितनी है; और

(च) शहरी नियोजन को प्रमुखता देने, टी.ओ.डी. को बढ़ावा देने, वार्षिक प्रमाणन आँकड़े प्रकाशित करने और शहरी शासन ढाँचे के लिए क्षमता निर्माण पहल सहित राज्यों द्वारा इसके अनुपालन की निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन, जिसमें अर्ध-शहरी क्षेत्र विकास, नगर नियोजन योजनाएँ तथा भूमि पूलिंग योजनाएँ शामिल हैं, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों की ज़िम्मेदारी हैं। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के प्रयासों में योजनाबद्ध उपायों/परामर्शिकाओं के माध्यम से सहयोग करती है और वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों सहित शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में नियोजित विकास तथा वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार 'राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना' (एसएसएएससीआई) के माध्यम से राज्यों को शहरी नियोजन सुधारों के लिए प्रोत्साहन देती है। यह योजना टाउन प्लानिंग स्कीम्स (टीपीएस), लैंड पूलिंग स्कीम्स (एलपीएस), ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) सहित शहरी नियोजन माध्यमों से भूमि उपयोग दक्षता, स्थायी विकास, वहनीयता और राजस्व सृजन में सहायता प्रदान करती है।

मध्य प्रदेश राज्य में एसएसएएससीआई 2023-24 के तहत 6 और एसएसएएससीआई 2024-25 के तहत 5 टीपीएस/एलपीएस योजनाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं तथा ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। टीपीएस/एलपीएस के तहत भागीदारी स्वैच्छिक है। अनिवार्य भूमि अधिग्रहण के बजाय, भूस्वामी अनुमोदित योजना के अनुसार पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा सौंपते हैं/योगदान करते हैं।

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भूमि अधिग्रहण प्रावधानों के तहत राज्य द्वारा कुल 29 नगर विकास योजनाएं (टीडीएस) तैयार की गई हैं, जिनमें से 2 टीडीएस देवास के योजना क्षेत्र के भीतर स्वीकृत हैं।

टीओडी के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचए) ने वर्ष 2017 में टीओडी नीति जारी की। इसके अतिरिक्त, एसएसएएससीआई के तहत,

2023-2024 के दौरान तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल और उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों में 25 कॉरिडोर चिह्नित किए गए तथा 2024-25 के दौरान महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 3 कॉरिडोर चिह्नित किए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) अपने प्रयोगिक चरण में है। मिशन की रूपरेखा, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक समान भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मंच को सक्षम बनाने में इसकी संभावित भूमिका शामिल है, पर वर्तमान में विचार-विमर्श चल रहा है।

(ङ) से (च) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी नियोजन एवं डिज़ाइन में चार उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) (एसपीए नई दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, सीईपीटी विश्वविद्यालय और एनआईटी कालीकट) तथा शहरी नियोजन में क्षमता निर्माण के लिए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) द्वारा वित्त पोषित छह केंद्र (जीएनडीयू अमृतसर, आईआईटी रुड़की, एमएनआईटी जयपुर, एसपीए भोपाल, एसपीए विजयवाड़ा और एसवीएनआईटी सूरत) नामित किए गए हैं, जो शहरी योजनाकारों सहित विभिन्न पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। सीओई ने लगभग 49 क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें 1,660 से अधिक कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अमृत द्वारा वित्त पोषित केंद्रों ने लगभग 59 क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें 3,850 से अधिक कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सीईओ के सहयोग से शहरी प्रबंधकों के लिए अर्बन रेनेसां टेक प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य शहरी नियोजन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वित्त और जलवायु अनुकूलन में तकनीकी-प्रबंधकीय कौशल वाले "प्रमाणित शहरी प्रबंधकों" का एक राष्ट्रीय समूह तैयार करना है।

अमृत और अमृत 2.0 के तहत, मास्टर प्लान का निरूपण करने में जीआईएस तकनीक के उपयोग पर 81 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनके माध्यम से लगभग 3,000 राज्य/शहरी स्थानीय निकाय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

शहरी नियोजन में सुधार और उसे मुख्य रूप से अपनाने, टीओडी को बढ़ावा देने तथा क्षमता एवं अनुपालन को सुदृढ़ करने हेतु, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित दस्तावेजों/परामर्शिका दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं:

i. शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014:
https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf
ii. शहरी बाढ़ हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)
https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/SOP%20Urban%20flooding_5%20May%202017.pdf

iii., प्रकृति आधारित समाधानों सहित संयुक्त जल प्रबंधन दृष्टिकोण विकसित करने में शहरों को सक्षम बनाने के लिए नदी केंद्रित शहरी नियोजन दिशानिर्देश 2021

https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/RCUP%20Guidelines.pdf

iv. वर्षा जल संग्रहण पार्कों के निर्माण पर मार्गदर्शी दस्तावेज़

https://mohua.gov.in/pdf/6566e1048ab41guidance-document-on-rainwater-harvesting-parks-final.pdf

v. पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) नीति

https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/National%20Transit%20Oriented%20Development%20(TOD)%20Policy.pdf

****